पराग महाविद्यालय

4049

सेमरी रनापुर, ऊँचाहार–रायबरेली

सम्बद्ध :– (लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ)

पत्रांक :

दिनाँक:– 26/6/2024

कुल सचिव का कार्यालय
2298
26/06/24
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

सेवा में,

कुलसचिव
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ।

विषयः– विज्ञापन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि पराग महाविद्यालय सेमरी रनापुर ऊँचाहार, रायबरेली (4049) में विज्ञान संकाय में सहायक आचार्य पद हेतु वनस्पति विज्ञान पद एक, रसायन विज्ञान पद एक, गणित पद एक, भौतिक विज्ञान पद एक, जीव विज्ञान पद एक एवं कला संकाय में शिक्षाशास्त्र पद एक के अनुमोदन हेतु महाविद्यालय द्वारा दो समाचार पत्रों में तीन दिन लगातार विज्ञापन प्रकाशित करवा दिया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि महाविद्यालय के विज्ञापन को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

राजनारायन

भवदीय

प्रबन्धक

पराग महाविद्यालय सेमरी रनापुर, ऊँचाहार रायबरेली

इंचार्ज वेबसाइट
26.6.24

PA TO REGISTRAR

Scanned with ACE Scanner

Email-paragdc009@gmail.com मो0. 9415956009
7007400045

पराग महाविद्यालय 4049

सेमरी रनापुर, ऊँचाहार–रायबरेली
सम्बद्ध :– (लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ)

सत्यमेव जयते

पत्रांक :

दिनाँकः–........................

आवश्यकता है

पराग महाविद्यालय सेमरी रनापुर ऊँचाहार, रायबरेली में विज्ञान संकाय हेतु वनस्पति विज्ञान पद एक, रसायन विज्ञान पद एक, गणित पद एक, भौतिक विज्ञान पद एक, जीव विज्ञान पद एक एवं कला संकाय हेतु शिक्षाशास्त्र पद एक, अंग्रेजी पद एक प्रवक्ताओं की आवश्यकता है वेतन यू0जी0सी0/विश्वविद्यालय के मानक अनुसार देय होगा। इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी जारी विज्ञापन के एक सप्ताह के अंदर शैक्षिक प्रमाण पत्रों व फोटो सहित आवेदन उपरोक्त पते पर कर सकते है।

प्रबन्धक
राजनारायन मौर्य
मो0–7007400045, 9415956009

राजनारायन
प्रबन्धक
पराग महाविद्यालय
सेमरी रनापुर, ऊँचाहार
रायबरेली

Scanned with ACE Scanner

सम्बद्धता आदेश संख्या–सी०एस०जे०एम०वि०वि० / कुसका० / सम्ब० / 4495 / 2018 दिनांक 30.05.2018 द्वारा
कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

[illegible] राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की [illegible] की अनुमति (दिनांक 30.05.2018) से पराग महाविद्यालय, सेमरी, रनापुर, ऊँचाहार, रायबरेली को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में [illegible] सत्र 2018–19 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

1. शैक्षिक सत्र 2017–18 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2018–19 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि प्रश्नगत पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2017–18 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2018–19 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित मानकों/दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय समय–समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
7. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011, दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
8. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
9. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./1595/2018 दिनांक: 18/09/2018

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक, पराग महाविद्यालय, सेमरी, रनापुर, ऊँचाहार, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित विषयों का सत्र 2017–18 का परीक्षाफल घोषित हो गया है जो 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। अतः आदेशानुसार महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में दिनांक 01.07.2018 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती है।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
5. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।

राजनारायन
प्रबन्धक
पराग महाविद्यालय
सेमरी रनापुर, ऊँ
रायबरेली

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)
कुल सचिव

Scanned with ACE Scanner

कोरांव पुलिस ने 120 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक को किया गिरफ्तार

नैतिक आवाज संवाददाता

कोरांव, प्रयागराज। पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ संचालित अभियान के तहत कोरांव पुलिस द्वारा बुधवार को काले कारोबार में संलिप्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 120 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। गपोली सोनकर पुत्र नेब्बू लाल निवासी धाव थाना कोरांव प्रयागराज को बुधवार को नेवारी रोड धाव पहाड़ी के पास थाना क्षेत्र कोरांव से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी / बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर समुचित मुकदमा पंजीकृत किया गया और नियमानुसार

अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी। इस दौरान पुलिस टीम में उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार अस्थाना , उपनिरीक्षक अबू तालिब जैदी , हेड कांस्टेबल भरत सिंह थाना कोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज मौजूद रहे। क्षेत्रीय चर्चाओं पर गौर करें तो आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से ही कोरांव पुलिस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से एहतियात बरत रही है और अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को सलाखों के पीछे धकेल रही है। प्रभारी निरीक्षक कोरांव राकेश कुमार भारती का कहना है कि अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह कितनी ही ऊंची उड़ान भरने वाला क्यों न हो। फिलहाल कोरांव पुलिस की सक्रियता से काले कारोबारियों पर ग्रहण सा लग गया है जो अपने मंसूबे में लगातार रुप से असफल हो रहे हैं।

शाम होते ही बिजली की कटौती मोहल्लेवासी परेशान, अधिकारी

नैतिक आवाज संवाददाता

नैनी, प्रयागराज। नैनी क्षेत्र के एफ.सी.आई रोड, चाका नई बस्ती, मुंडीचक, चक लाल मोहम्मद, ईसाई बस्ती मोहल्ले में शाम होते ही बिजली की जबरदस्त कटौती शुरू हो जाती है।

शाम के वक्त बिजली की जबरदस्त कटौती किए जाने से क्षेत्र की जनता काफी आजिज आ चुकी है। और विभागीय अधिकारी बेपरवाह बने हुए है बताया जाता है, कि मामा भांजा के तालाब पावर हाउस से क्षेत्र के एफ.सी.आई रोड, चाका नई बस्ती, चकलाल मोहम्मद, ईसाई

देश और समाज की सेवा करते रहेंगे-शेखू नवाब

नैतिक आवाज संवाददाता

नैनी, प्रयागराज। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से नामांकन करने वाले प्रत्याशी शेखू नवाब ने कहा है कि वे देश और समाज की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि वे महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, जांच फर्नांडीस, जनेश्वर मिश्र के बताए रास्ते पर चलते हुए समाजवादी समाज की स्थापना के लिए जो प्रण लिया है, उसे वे मरते दम तक निभाते रहेंगे। उन्होंने कहा है

कि लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की तैयारी की गई थी, लेकिन कुछ सत्तालोभियों और सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देने वालों ने साजिश करके उनके नामांकन को रद्द करवा दिया। उन्होंने कहा है कि जो लोग झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे हैं। उनकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के नेता शेखू नवाब ने कहा है कि नामांकन रद्द होने से उनके हौसले कम नहीं होंगे। वे पहले भी जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे और आगे भी रहेंगे। नामांकन में सहयोग देने वाले पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए शेखू नवाब ने कहा है कि आम जनता, किसानों, मजदूरों, छात्रों, युवाओं के उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु प्रयास जारी रहेगा और भविष्य में होने वाले चुनाव में भागीदारी भी करेंगे।

आवश्यकता है

पराग महाविद्यालय सेमरी रनापुर ऊँचाहार, रायबरेली में विज्ञान संकाय हेतु वनस्पति विज्ञान पद एक, रसायन विज्ञान पद एक, गणित पद एक, भौतिक विज्ञान पद एक, जीव विज्ञान पद एक एवं कला संकाय हेतु शिक्षाशास्त्र पद एक, अंग्रेजी पद एक प्रवक्ताओं की आवश्यकता है वेतन यू.जी.सी./ विश्व विद्यालय के मानक अनुसार देय होगा। इच्छुक एंव अर्ह अभ्यार्थी जारी विज्ञापन के एक सप्ताह के अन्दर शैक्षिक प्रमाण पत्रो व फोटो सहित आवेदन उपरोक्त पते पर कर सकते है।

प्रबन्धक

राजनारायण मौर्य

7007400045, 941595609

शाहादत दिवस पर शहीद को पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्र

नैतिक आवाज संवाददाता

कुरावली। गुरुवार को ग्राम जमलापुर निवासी शहीद के शहादत दिवस पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानो ने शहादत दिवस पर आयोजन कर शहीद की पत्नी को शाल व फल देकर सम्मानित किया तथा शहीद को सलामी देकर पुष्प चक्र अर्पित किये। इस मौके पर लखनऊ से आये 32 वी वाहिनी के कमांडेंट विजय कुमार भाटी ने दो दर्जन से ज्यादा जवानो के साथ शहीद स्थल

संसदीय सीट श्रावस्ती के लिए कुल 1 चुनावी मैदान में, चुनाव चिन्ह हुआ

1-मोइनुद्दीन अहमद खान - बसपा - हाथी
2 -राम शिरोमणि वर्मा - सपा - साइकिल
3 - साकेत मिश्रा - भाजपा - कमल
4 - अहमद जिया खान - पीसपार्टी - कांच का गिलास
5 - कृष्णा कुमार मौर्य - सम्यक पार्टी - करनी
6 - कुमारी गीता गौतम - राष्ट्रीय जनता पार्टी - चारपाई
... - आम जनता पार्टी (इंडिया)- रोड रोलर

नामांकन पत्र दाखिल किया।

जिनमें से 05 नामांकन पत्र खारिज हो गए। गुरुवार 9 मई को नाम वापसी के दिन 01 प्रत्याशी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली। इस प्रकार लोकसभा संसदीय

1- राकेश कुमार यादव - समाजवादी पार्टी - साइकिल
2 - शैलेश कुमार सिंह शैलू - बीजेपी - कमल
3 - मोहम्मद हारिस खान - बहुजन समाज पार्टी - हाथी
4 - मोहम्मद गुलजार अहमद - पीस पार्टी - कांच का गिलास
5 - रामदुलारे - निर्दलीय - माईक

Scanned with ACE Scanner

[illegible] आज तक लौट कर नहीं आये, [illegible] किया पता नहीं [illegible] किसी के द्वारा कहीं देखे [illegible] थाना ऊँचाहार जिला रायबरेली।

पेशी दिनांक

[illegible] सिविल जज सी० डि० कोर्ट नं० 10 रायबरेली। एम० एन० आर० नं०-125/2024 ई० ।

सुनिता पत्नी विजय कुमार श्रीवास पुत्री राम स्वरुप वारिद हाल पता 61 हीरा नगर पोस्ट विजय नगर शहर एवं जिला इन्दौर (म०प्र०) । प्रार्थिनी

बनाम

1. हरखास आम/उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिलाधिकारी महोदय रायबरेली। 2. कैलाश श्रीवास पुत्र स्व० राम स्वरुप स्थाई पता पुरे कुमेदान मजरे सहजौरा, परगना खीरों तहसील लालगंज, जिला रायबरेली वारिद हाल पता 61 हीरा नगर पोस्ट विजय नगर शहर एवं जिला इन्दौर (म०प्र०) ।

चूंकि ऊपर नामांकित प्रार्थिनी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि उत्तराधिकार हेतु अतएव आपको एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के खिलाफ किसी की भी कोई आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 05 माह 07 सन् 2024 ई0 को..... दिन 7 बजे प्रातः में इस न्यायालय में उपस्थित होकर या सम्यकरूपेण अनुन्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपसंजात हों और यदि आप ऐसा करने में असफल रहें तो उक्त आवेदन की सुनवाई एक पक्षीय करके वाद निर्णत कर दिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज दिनांक...... माह... सन............ ई० को जारी की गयी। दिनांक..............

न्यायालय के आदेशानुसार

[illegible]

गुमशुदगी

सूचित किया जाता है कि मेरे पति शिवप्रसाद पुत्र [illegible] जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं [illegible] अगस्त सन् 2005 को बिना बताये घर से बाहर गये और आज तक लौट कर नहीं आये, काफी खोजबीन किया पता नहीं चला न किसी के द्वारा कहीं देखे गये, सूचित करने वाले व्यक्ति को [illegible] किया जायेगा। श्री/ईश्वरदेई पत्नी शिवप्रसाद निवासिनी ग्राम टेरा बरौला थाना बछरावां जिला रायबरेली।

सूचना

सूचनार्थ, मैंने अपने पुत्र संदीप व पुत्रवधू सरिता गौतम के खराब व्यवहार व आचरण के कारण अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करते हुए अपने संबंध विच्छेद कर लिये है। भविष्य में उनके द्वारा किये गये किसी भी कृत्य के प्रति मेरा व मेरे परिवार के अन्य सदस्यों से कोई वास्ता व सरोकार न होगा। सावित्री देवी पत्नी स्व०रामअवतार निवासिनी 645/58 रामपुर निस्फ जानकीपुरम,जनपद लखनऊ

सूचना

सूचनार्थ, मैं मनोरमा पत्नी स्व०हरिवंश कुशवाहा निवासी घीना खेड़ा, पोस्ट-मजगवाँ सेवक, थाना बिघापुर, उन्नाव की हूँ। मेरी पुत्री के आधार कार्ड में पुत्री का नाम पायल अंकित है जो कि गलत है तथा जन्म प्रमाण-पत्र में स्नेहा अंकित है जो कि सही है। पायल एवं स्नेहा दोनों एक ही बच्ची के नाम है। पुत्री का सही व वास्तविक नाम स्नेहा है। पुत्री का सही नाम आधार कार्ड में स्नेहा अंकित किया जाये। पति का नाम पुत्री के आधार कार्ड में हरिवंश कुमार अंकित है जो कि गलत है। मेरे पति का सही नाम हरिवंश कुशवाहा है जिसे पुत्री के आधार कार्ड में स्नेहा पुत्री हरिवंश कुशवाहा अंकित किया जाये।

आवश्यकता है

पराग महाविद्यालय सेमरी रनापुर ऊँचाहार, रायबरेली में विज्ञान संकाय हेतु वनस्पति विज्ञान पद एक, रसायन विज्ञान पद एक, गणित पद एक, भौतिक विज्ञान पद एक, जीव विज्ञान पद एक एवं कला संकाय हेतु शिक्षाशास्त्र पद एक, अंग्रेजी पद एक प्रवक्ताओं की आवश्यकता है वेतन यू.जी.सी./विश्वविद्यालय के मानक अनुसार देय होगा। इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी जारी विज्ञापन के एक सप्ताह के अंदर शैक्षिक प्रमाण पत्रों व फोटो सहित आवेदन उपरोक्त पते पर कर सकते है।

प्रबंधक

राजनारायन मौर्य

मो 7007400045, 9415956009

			1976/2003 & Pending
5	44-Akbarpur	Devendra Singh Bhole	ACJM-1st, Kanpur Dehat, Case No.-178/2006 & Pending
6	44-Akbarpur	Devendra Singh Bhole	ACJM-1st, Kanp Dehat, Case No 3178/2006 & Pending
7	44-Akbarpur	Devendra Singh Bhole	Case Crime No 8A/2002 & Pending

Declaration about criminal antecedents of candidates

8	44-Akbarpur	Devendra Singh Bhole	Case Crime 221/1996 Pendin
9	44-Akbarpur	Devendra Singh Bhole	Case Crim 261/199 Pendi
10	44-Akbarpur	Devendra Singh Bhole	Case Cri 11/19 Penc
11	44-Akbarpur	Devendra Singh Bhole	Case C 298/ Pe
12	44-Akbarpur	Devendra Singh Bhole	Case 65(A P
13	44-Akbarpur	Devendra Singh Bhole	Case 26

*In the case of election to Council of Sta in place of name of constituency.

Scanned with ACE Scanner